



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्ग्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

E-mail - eecdpwd\_uki@rediffmail.com

Phone/Fax No. - 01371-237084

पत्रांक 717/03 एल.ए.ए.

दिनांक 21/06/2024

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्ग्यालीसौड़ के दिवारीखोल से जोखणी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.75 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुए 05 वर्ष व्यतीत होने के कारण भी विधिवत् स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण एन०पी०वी० की संशोधित दरों के अनुसार निर्धारण कर अतिरिक्त धनराशि की मांग पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक-1257/PO दिनांक 03.06.2022, वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, मुनि की रेती का पत्रांक-2430/1-14 दिनांक 09.06.2022 एवं कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के पत्रांक 4485/ 12-1,कोटबंगला दिनांक 20.06.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्ग्यालीसौड़ के दिवारीखोल से जोखणी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.75 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुए 05 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी विधिवत् स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण एन०पी०वी० की संशोधित दरों की धनराशि जमा की जानी है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के पत्रांक 4485/ 12-1,कोटबंगला दिनांक 20.06.2024 के माध्यम से प्रश्नगत धनराशि की मांग इस खण्ड से की गयी है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है -

प्रस्ताव संख्या	ईको क्लास	क्षेत्रफल (हे०)	स्टेज-। की तिथि	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किये गये एन० पी० वी० धनराशि का आंकलन			वर्तमान में निर्धारित नई दरों के अनुसार एन० पी० वी० धनराशि का आंकलन			जमा किये जाने वाली अवशेष एन० पी० वी० की धनराशि (रु० में)
				औसत घनत्व	दर प्रति हे०	धनराशि (रु० में)	औसत घनत्व	दर प्रति हे०	धनराशि (रु० में)	
FP/UK/ROAD/19182/2016	V	1.75	16.04.2019	0.2	657000.00	1149750.00	0.2	1005210.00	1759117.00	609368.00

अतः आपसे निवेदन है कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्ग्यालीसौड़ के दिवारीखोल से जोखणी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.75 हे० वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति प्राप्त करने हेतु उक्त वर्णित धनराशि रु. 6,09,368.00 (रु. छः लाख नौ हजार तीन सौ अठसठ) मात्र का आवंटन एवं साख सीमा उक्त मदों के अन्तर्गत निर्गत करने की कृपा करें। ताकि वांछित धनराशि सम्बन्धित लेखा शीर्षको के अन्तर्गत भारत सरकार के खाते में जमा करायी जा सकें। उक्त धनराशि जमा होने के पश्चात् ही भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति प्राप्त की जा सकें।

क्रमशः पेज 2 पर....

-(2)



- संलग्न- 1. प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, उत्तरकाशी के पत्र की छायाप्रति।  
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त का शासनादेश की छायाप्रति।

भवदीय




(इं. मनोज दास)

अधिशारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,  
चिन्मालीसौड (उत्तरकाशी)

पंजाब : 717 / 03 स्त. ५०

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी प्रमुख अभियन्ता को पत्र प्रेषित करने की कृपा करें।
2. अधीक्षण, 6वां वृत्त, लो.नि.वि., उत्तरकाशी को सादर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी प्रमुख अभियन्ता को पत्र प्रेषित करने की कृपा करें।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सहायक अभियन्ता प्रथम को इस आशय से प्रेषित कि विभागाध्यक्ष कार्यालय में व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर वांछित धनराशि निर्गत कराना सुनिश्चित करें।



अधिशारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,  
चिन्मालीसौड (उत्तरकाशी)